

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं० 132/2021

रेलवे बोर्ड के पत्रांक पीसी/V/2009/एमएसीपी/2/आर.वी.सं०-101/2009 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुपालन में डेमु शेड /सोनपुर के निम्नलिखित कर्मचारी को 10, 20 एवं 30 वर्ष के नियमित सेवा के परिपेक्ष में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन/एम०ए०सी०पी० के तहत लाभ देते हुए अमरेप्र-1/सोनपुर के अनुमोदनोपरान्त उपयुक्त घोषित किये गये है तथा डी०ए०आर०/एस०पी०ई०/विजिलेंस प्रकरण से मुक्त है के नाम के सामने अंकित तिथि से वित्तीय उन्नयन का लाभ देते हुए वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री)	पदनाम/स्टेशन	MACP के तहत प्रभावी तिथि एवं ग्रेड /लेवल			वर्तमान वेतन /लेवल+तिथि		(A) देय एमएसीपी की तिथि से वेतन निर्धारण वेतन +लेवल		(B) अगली वेतन वृद्धि तिथि से एमएसीपी के तहत वेतन निर्धारण		वेतन निर्धारण जो मान्य होगा
			प्रथम	द्वितीय	तृतीय							
01	पंकज कुमार	सि.से.ई/डेमूशेड /सोनपुर	--	27.02.20 L-9	--	78800 L-8	01.07.2019	82600 (L-9)	27.02.20 (L-9)	80200 (L-9)	27.02.20 (L-9)	कालम (B) मान्य
								85100 (L-9)	01.01.21 (L-9)	85100 (L-9)	01.07.20 (L-9)	

यदि कर्मचारी अपना वेतन निर्धारण मान्य कालम से भिन्न कराना चाहते हैं तो अपना विकल्प आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर दे सकते हैं बाद में दिये गये विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा

रवि कुमार पंडित

सकाधि-11

कृते मरेप्र(का०)सोनपुर

दिनांक-19.02.2021

सं- का०/205/MACP/Demu shed/see

प्रतिलिपि - सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.वमयाँई/समाडी,वमविप्र/सोनपुर

02.DME/ T.S.-I,सयाँई/डेमू शेड/सोनपुर

03.मुकार्याधि/बिल/सोनपुर

04.सम्बंधित कर्मचारी

05.मंडल मंत्री /ईसीआरकेयू,ओबीसी,अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल

कृते मरेप्र(का०)सोनपुर
19/2/21